



2026:AHC:568

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पीआईएल) संख्या - 2238, वर्ष 2025

अभोरिक सिंह यादव

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : आराधना सिंह, बीरेंद्र कुमार यादव, लालबिहारी यादव
प्रतिवादी (यों) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.,

न्यायालय संख्या.- 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री अंजनी कुमार चौरसिया को सुना गया।

2. यह जनहित याचिका नीचे दी गई राहत के लिए दायर की गई है-

(i) एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जो 'परमादेश की प्रकृति का हो, और जिसके द्वारा प्रतिवादी संख्या 2/तहसीलदार (न्यायिक), तहसील-हम्मदाबाद, जिला-गाजीपुर को यह आदेश और निर्देश दिया जाए कि वे उनके समक्ष आज की तारीख तक लंबित पड़े मामले संख्या 5689/2025 (कंप्यूटर केस संख्या 1202514290205689) — 'गाँव सभा बनाम शिवमूरत यादव' — का निर्णय, 'उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006' की धारा 67(1) के अंतर्गत, एक निर्धारित समय-सीमा के भीतर करें।

(ii). परमादेश की प्रकृति का एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए, जिसमें संबंधित प्रतिवादियों को यह आदेश और निर्देश दिया जाए कि वे ग्राम हेंसी, थाना-नोनलारा, परगना-रिया और तहसील-मोहम्मदाबाद, जिला-गाजीपुर में स्थित नवीन परती गाटा संख्या 12 (क्षेत्र 0.0830 हेक्टेयर) पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटा दें, जिस पर प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था।

3. इस न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, राज्य द्वारा एक व्यक्तिगत शपथ-पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसे अभिलेख पर ले लिया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह निवेदन किया कि तहसीलदार द्वारा निजी प्रतिवादी संख्या 3 के विरुद्ध पारित बेदखली और क्षतिपूर्ति के आदेश के विरुद्ध, यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 (5) के तहत एक अपील लंबित है। उन्होंने यह भी निवेदन किया कि उक्त अपील में कोई अंतरिम आदेश प्रभावी नहीं है; अतः संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे विचाराधीन भूखंड से अतिक्रमण हटाने हेतु आवश्यक कदम उठाएँ।

5. मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

6. इस तथ्य को लेकर कोई विवाद नहीं है कि तहसीलदार द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 के विरुद्ध पारित बेदखली और हर्जाने के आदेश के खिलाफ, यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 (5) के तहत एक अपील लंबित है।

7. यू.पी. राजस्व न्यायालय नियमावली के पैरा-460 के तहत, यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत की गई कार्यवाही में पारित आदेश के कार्यान्वयन/निष्पादन के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई है; अतः, यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत पारित आदेशों के कार्यान्वयन/निष्पादन हेतु प्रस्तुत यह जनहित याचिका विचारणीय नहीं है।

8. मामले के समस्त तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, यह जनहित याचिका इस टिप्पणी के साथ खारिज की जाती है कि यू.पी. राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत पारित अंतिम आदेश के कार्यान्वयन/निष्पादन के लिए, यू.पी. राजस्व न्यायालय नियमावली के पैरा 460 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, विधि सम्मत कार्यवाही शुरू की जा सकती है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

5 जनवरी 2026

पीएस